ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

57/2021 तारीखरजू:- 23/7/2021

उनवानः- ओमप्रकाश बनाम जीवन वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

नांक	फर्द अहकाम
23/7/2021	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राधाभरण शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तारिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 546/0.22, 547/0.50 ग्राम घाटरा शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे सायल के हिस्से मे दर्ज भूमि तक आगामी पेशी तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 06.08.2021 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

3761-66
23/7/21

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
06.8.21	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल। नम्बर 3 की ओर से टीका राम गुर्जर एड० द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र की नकल सायल वकील को दिलवाई गई। गैर सायल न० 5, 6 उप०। गैर सायल नं० 4 के नोटीस मतवातर में तामिल हो चुके है बावजूद सूचना अनु० न्यायालय रहने से गैर सायल न० 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 27.8.21 को पेश हो।
27.8.21	प्रार्थी वकील उप०। गतानुसार वास्ते बहस दिनांक 24.9.21 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला-करौली
24.9.21	वकु० उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मूल वाद उनवानी ओमप्रकाश बनाम जीवन का निस्तारण हो जाने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला-करौली